प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद–एटा।

पत्रांक– एस.पी.एम.यू. / कम्यू.प्रो. / 11631 दिनांक 11.02.2019

**विषय– दिनांक 14–17 जनवरी, 2019 में राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में पायी गयी कमियों को निस्तारित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या–SPMU/NHM/M&E/2018-19/04/10262 दिनांक 31.12.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय दल द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अर्न्तगत जनपद का भ्रमण कर जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। अवगत कराना है कि उक्त निर्देशों के अनुपालन में राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 14–17 जनवरी, 2019 को जनपद एटा का भ्रमण कर जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा कर आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

उपरोक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि पायी गयी कमियों को तीन दिवसों के अन्दर निस्तारित कराते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या / कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को हार्ड एवं साफ्ट कापी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

**संलग्नक–भ्रमण आख्या।**

भवदीय

(डा0 नीरज शुक्ला)
**अपर मिशन निदेशक**

पत्रांक– एस.पी.एम.यू. / कम्यू.प्रो. / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मण्डलायुक्त, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।
5. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–एटा।
6. समस्त महाप्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से कि अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
8. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला पुरूष / महिला चिकित्सालय जनपद–एटा।
9. मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0 / रीजनल को–ओर्डिनेटर / डिविजनल कन्सल्टेन्ट–क्यू0ए0 / मण्डलीय अर्बन हेल्थ को–ओर्डिनेटर, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि दृष्टिगत बिन्दुओं पर सुधारात्मक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
10. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन0एच0एम0 जनपद–एटा को इस निर्देश के साथ कि आख्या का अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही की प्रगति–रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(डा0 राजेश झा)
**नोडल अधिकारी–अलीगढ़**

# भ्रमण आख्या जनपद–एटा

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या–SPMU/NHM/M&E/2018-19/04/10262 दिनांक 31.12.2018 के क्रम में पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुपालनार्थ दिनांक 14–17 जनवरी, 2019 को भ्रमण दल द्वारा जनपद एटा का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण दल के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

1. डा0 राज किशोर त्रिपाठी, प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. श्री अंकित अग्रवाल, एकाउन्ट ऑफिसर, कम्युनिटी प्रोसेस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

**सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की गयी इकाईयाँ :–**

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलेसर।
2. ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिरहैची।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मरहरा (नान ब्लाक सी.एच.सी.)।
4. उपकेन्द्र झिनवार, विकास खण्ड निधौली कलां।
5. उपकेन्द्र, भगीपुर विकास खण्ड शीतलपुर (वी.एच.एन.डी. सत्र)।
6. उपकेन्द्र जिरसमी विकास खण्ड शीतलपुर (वी.एच.एन.डी. सत्र)।
7. जिला महिला चिकित्सालय एटा।
8. जिला पुरूष चिकित्सालय एटा।
9. ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अवागढ़।
10. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नगला पोटा।

जनपद की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की संक्षिप्त आख्या निम्नवत् है–

| क्र. स. | चिकित्सा इकाई | अवलोकन बिन्दु | सुधारात्मक कार्यवाही | कार्यवाही का स्तर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलेसर | • चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर स्ट्रेचर व व्हील चेयर उपलब्ध नहीं था।<br>• जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दीवार लेखन को अद्यतनान्त किये जाने की आवश्यकता है।<br>• चिकित्सालय परिसर में अग्नि शमन हेतु रखी गयी बाल्टियों में बालू कम भरी गयी थी जिससे चिकित्सालय में आने वाले मरीजों एवं तीमारदारों द्वारा उन बाल्टियों को थूकदान के रूप में उपयोग कर रहे थे। जबकि चिकित्सालय द्वारा न थूकने हेतु आई.ई.सी. की गयी थी।<br>• चिकित्सालय के शौचालय में प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी और न ही उसे इनवर्टर से कनेक्ट किया गया था।<br>• विकास खण्ड में गठित आर.बी.एस.के. की टीम में एक–एक चिकित्सक का पद रिक्त है।<br>• चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद स्तर से धनराशि उपलब्ध न होने के कारण जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है।<br>• विकास खण्ड के अन्तर्गत 6 उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में विकसित करने हेतु चिन्हित किये गये हैं।<br>• चिकित्सा इकाई में चिकित्सकों एवं पराचिकित्सकों हेतु आवास की कमी है।<br>• चिकित्सालय में मरीजों की संख्या के दृष्टिगत उनके बैठने हेतु अतिरिक्त सीट लगाये जाने की आवश्यकता है। | • चिकित्सा अधीक्षक को स्ट्रेचर व व्हील चेयर उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया।<br>• चिकित्सा अधीक्षक को जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत दीवार लेखन में दी गयी सूचनाओं को अद्यतनान्त किये जाने का सुझाव दिया गया।<br>• चिकित्सालय परिसर में अग्नि शमन हेतु रखी गयी बाल्टियों में बालू को पूरी तरह भरने का सुझाव दिया गया एवं बाल्टियों में थूकने वाले के ऊपर नियमानुसार जुर्माना लगाने का सुझाव दिया गया।<br>• चिकित्सा अधीक्षक को दिये सुझाव के अनुक्रम में चिकित्सालय के शौचालय में तत्काल प्रकाश की व्यवस्था की गयी।<br>• चिकित्सा इकाई में धनराशि की उपलब्धता न होने के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर वार्ता की गयी। वार्ता में अवगत कराया गया कि आवश्यक धनराशि एक दिन पूर्व ही जनपद स्तर से ब्लाक स्तर को अवमुक्त/आवंटित की जा चुकी है।<br>• चिकित्सा इकाई में आवास की कमी के संदर्भ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से राज्य स्तर पर अनुरोध पत्र प्रेषित करने का सुझाव दिया गया। | चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई/ राज्य स्तर |
| 2 | ब्लाक प्राथमिक | • माह अप्रैल 2018 से माह दिसम्बर, 2018 तक कुल 1220 प्रसव हुये हैं जिसके सापेक्ष 1167 | • सम्बन्धित को सुझाव दिया गया कि जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों | चिकित्सा अधीक्षक/ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वास्थ्य केन्द्र, निरहैची | का भुगतान किया गया है।<br>• चिकित्सालय में शिकायत पेटिका नहीं लगायी गयी है।<br>• चिकित्सालय परिसर में अग्नि शमन हेतु किसी प्रकार का उपाय नहीं किया गया है।<br>• बच्चों के वजन हेतु डिजिटल मशीन उपलब्ध नहीं थी।<br>• चिकित्सालय के किसी भी वार्ड में आई.ई.सी. नहीं की गयी थी एवं पर्दा भी नहीं लगाये गये हैं तथा वार्ड का शौचालय अक्रियाशील है। उसमें टूटी हुयी कुर्सी रखी गयी थी।<br>• वार्ड की वॉश बेसिन निष्प्रयोज्य अवस्था में है। तथा जाली व शीशे टूटे हुये थे।<br>• भ्रमण के समय चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर स्ट्रेचर व व्हील चेयर उपलब्ध नहीं थे।<br>• प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सालय के परिसर में कालोनी के गन्दे पानी का जल भराव हमेशा बना रहता है। इस सम्बन्ध में विकास खण्ड स्तर व जनपद स्तर पर कई बार मौखिक व लिखित रूप से अवगत कराया गया है किन्तु कार्यवाही अभी भी अपेक्षित है।<br>• चिकित्सालय की ओ.पी.डी. में मरीजों एवं तीमारदारों के बैठने हेतु मात्र 1 बेंच (3 व्यक्तियों के लिये) लगायी गयी है।<br>• ब्लाक स्तर से एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर अपलोड की गयी रिपोर्ट व मैनुअल रिपोर्ट में भिन्नता पायी गयी।<br>• 108 एम्बुलेन्स वाहन संख्या–यूपी–41–जी–1276 का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि वाहन द्वारा भ्रमण के समय तक कुल 394635 कि.मी. की दूरी तय की जा चुकी है।<br>• उक्त एम्बुलेन्स के ई.एम.टी. द्वारा अवगत कराया गया कि थर्मामीटर व प्राथमिक उपचार की औषधियाँ विगत एक वर्ष से उपलब्ध नहीं है। | का लम्बित भुगतान अतिशीघ्र कर दिया जाये।<br>• अग्नि शमन उपकरण एवं शिकायत पेटिका लगाये जाने हेतु सुझाव दिया गया।<br>• चिकित्सालय के वार्ड में आई.ई.सी. किये जाने का सुझाव दिया गया।<br>• भ्रमण के समय चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर स्ट्रेचर व व्हील चेयर की उपलब्धता का सुझाव दिया गया।<br>• ओ.पी.डी. में अतिरिक्त सीट लगाये जाने का सुझाव दिया गया।<br>• जल भराव की समस्या के निस्तारण हेतु जनपद स्तरीय बैठकों में समय–समय पर ध्यान आकृष्ट करने का सुझाव दिया गया।<br>• ब्लाक स्तर से एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर अपलोड की गयी रिपोर्ट व मैनुअल रिपोर्ट की भिन्नता को अतिशीघ्र दूर किया जाये। समस्त अनुभागों से रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड की जाये। | मुख्य चिकित्सा अधिकारी |
| 3 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मरहरा (नान ब्लाक सी.एच.सी.) | • चिकित्सालय की ओ.पी.डी. से लेबर रूम का प्रवेश द्वार थोड़ी दूरी पर है व रास्ता भी पृथक है किन्तु साइनेज नहीं लगाये गये हैं।<br>• चिकित्सालय में शिकायत पेटिका नहीं लगायी गयी है।<br>• चिकित्सालय परिसर में अग्नि शमन हेतु किसी प्रकार का उपाय नहीं किया गया है।<br>• प्रसव कक्ष में न्यू बार्न केयर कार्नर पूर्णतः अव्यवस्थित है।<br>• प्रसव कक्ष में पर्दा नहीं लगाया गया है।<br>• प्रसव कक्ष के प्रवेश द्वार में अंधेरा रहता है।<br>• प्रसव कक्ष का शौचालय अक्रियाशील अवस्था में था।<br>• प्रसव कक्ष में निर्धारित प्रसव पंजिका उपलब्ध नहीं थी।<br>• चिकित्सालय के प्रसव कक्ष के बाहर गैलरी को वार्ड के रूप में उपयोग किया जा रहा है।<br>• गैलरी में डाले गये बेड के गद्दा व तकिया | • चिकित्सालय की ओ.पी.डी. में लेबर रूम हेतु साइनेज लगवाने हेतु सुझाव दिया गया।<br>• अग्नि शमन उपकरण एवं शिकायत पेटिका लगाये जाने हेतु सुझाव दिया गया।<br>• सामु0 स्वा0 केन्द्र हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक्स के लिये मॉग–पत्र समय–समय पर ब्लॉक पी.एच.सी. /जनपद स्तर को उपलब्ध कराया जाये।<br>• चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर स्ट्रेचर व व्हील चेयर की उपलब्धता का सुझाव दिया गया। | चिकित्सा अधीक्षक / जनपद स्तर |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | अत्यन्त गन्दे एवं फटे हुये थे।<br>• भ्रमण के समय चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर स्ट्रेचर व व्हील चेयर उपलब्ध नहीं थे।<br>• उपस्थित उपचारिकाओं द्वारा अवगत कराया गया कि कॉटन, बैंडेज, गॉज, बाल्टी, डस्टबिन इत्यादि सामग्री का सदैव अभाव रहता है। | | |
| 4 | उपकेन्द्र झिनवार विकास खण्ड निधौली कलां | • उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में चिन्हित किया गया है।<br>• उपकेन्द्र में माह दिसम्बर, 2018 में कुल 13 प्रसव हुये हैं।<br>• लेबर रूम में लगायी गयी घड़ी क्रियाशील अवस्था में नहीं थी।<br>• उपकेन्द्र में मरीजों/तीमारदारों के बैठने हेतु सीट उपलब्ध नहीं थी।<br>• प्रसव पंजिका ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक के पास उपलब्ध थी जिससे उसका अवलोकन नहीं किया जा सका।<br>• महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री के द्वारा अवगत कराया गया कि उपकेन्द्र में गद्दा व अन्य लॉजिस्टिक की आवश्यकता है।<br>• 108 एम्बुलेन्स वाहन संख्या–यूपी–41–जी–1193 का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि वाहन द्वारा भ्रमण के समय तक कुल 240190 कि.मी. की दूरी तय की जा चुकी है।<br>• उक्त एम्बुलेन्स में ट्यूब लाइट आक्सीजन सिलेण्डर एवं बी.पी. मशीन खराब थी।<br>• पायलट द्वारा अवगत कराया गया कि वाहन में स्टेपनी, जैक व रॉड इत्यादि उपलब्ध नहीं है।<br>• महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री द्वारा अवगत कराया गया कि उपकेन्द्र पर एक ही वजन मशीन उपलब्ध है जिससे वी.एच.एन.डी. के सत्र और प्रसव इकाई का कार्य किया जा रहा है। एक अतिरिक्त वजन मशीन की आवश्यकता है।<br>• महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री को उपकेन्द्र के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली असम्बद्ध धनराशि के अन्तरवित्तीयन नियम की जानकारी नहीं है। | • उपकेन्द्र में कराये गये प्रसवों के जननी सुरक्षा योजना के भुगतान हेतु सुझाव दिया गया।<br>• लेबर रूम में क्रियाशील घड़ी लगाने का सुझाव दिया गया।<br>• उपकेन्द्र में मरीजों/तीमारदारों के बैठने हेतु सीट लगाने का सुझाव दिया गया।<br>• उपकेन्द्र में गद्दा व अन्य लॉजिस्टिक की आवश्यकता हेतु मॉग–पत्र प्रेषित करने का सुझाव दिया गया।<br>• अतिरिक्त वजन मशीन की उपलब्धता हेतु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध करने का सुझाव दिया गया।<br>• महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री को उपकेन्द्र के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली असम्बद्ध धनराशि के अन्तरवित्तीयन को विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया। | प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ जनपद स्तर |
| 5 | उपकेन्द्र भगीपुर विकास खण्ड शीतलपुर (वी.एच.एन डी. सत्र) | • उपकेन्द्र में माह अक्टूबर 2018 के बाद कतिपय कारणों से प्रसव की सुविधा नहीं उपलब्ध करायी जा रही है।<br>• गॉव में निवासित लाभार्थियों (कम्युनिटी चेकलिस्ट के अनुसार) द्वारा अवगत कराया गया कि गॉव की जनसंख्या अधिक है व गॉव काफी बड़ा है किन्तु सत्र उपकेन्द्र पर ही आयोजित किया जाता है जिससे शत् प्रतिशत लाभार्थी नहीं पहुँच पाते हैं।<br>• महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री द्वारा अवगत कराया गया कि माह के चार सत्र इसी उपकेन्द्र पर आयोजित किये जाते हैं।<br>• महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री द्वारा अवगत कराया गया कि विटामिन–ए सीरप की आपूर्ति नहीं नहीं है।<br>• एच.आर.पी. पंजिका नहीं बनायी गयी है। | • वी.एच.एन.डी. सत्र पर शत् प्रतिशत लाभार्थियों की उपस्थिति हेतु सुझाव दिया गया कि कम से कम एक दिन पूर्व लाभार्थी को अवश्य अवगत करा दिया जाये।<br>• गॉव की जनसंख्या के दृष्टिगत वी.एच.एन.डी. सत्र स्थल में परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया।<br>• एच.आर.पी. पंजिका बनाये जाने का सुझाव दिया गया।<br>• पूर्व माध्यमिक विद्यालय भगीपुर विकास खण्ड शीतलपुर में पंजीकृत बालिकाओं हेतु सैनेटरी पैड की उपलब्धता कराये जाने हेतु भ्रमण के समय उपस्थित ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक को निर्देशित किया गया। | प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ जनपद स्तर |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | • प्रधानाध्यापक महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि बालिकाओं को सैनीटरी पैड नहीं उपलब्ध कराये गये हैं। | | |
| 6 | उपकेन्द्र जिरसगी विकास खण्ड शीतलपुर (वी.एच.एन.डी. सत्र) | • महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री के पास वी.एच.एन.डी. की कार्ययोजना उपलब्ध नहीं थी।<br>• उपकेन्द्र की बाउन्ड्री वाल नहीं बनायी गयी है और न ही रंगाई–पुताई करायी गयी है।<br>• उपकेन्द्र पर उसका नाम नहीं अंकित किया गया था।<br>• वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदान की गयी उपकेन्द्र असम्बद्ध धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है।<br>• एच.आर.पी. पंजिका नहीं बनायी गयी है। | • वी.एच.एन.डी. सत्र पर शत् प्रतिशत लाभार्थियों की उपस्थित का सुझाव दिया गया।<br>• उपकेन्द्र की रंगाई–पुताई कराये जाने का सुझाव दिया गया।<br>• असम्बद्ध धनराशि के उपयोग करने का सुझाव दिया गया।<br>• एच.आर.पी. पंजिका बनाये जाने का सुझाव दिया गया। | प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / जनपद स्तर |
| 7 | जिला महिला चिकित्सालय एटा | • जिला महिला चिकित्सालय के समीप ही 100 शैय्या एम.सी.एच. विंग का निर्माण किया जा रहा है जिससे चिकित्सालय का एक वार्ड टूट चुका है।<br>• के.एम.सी. वार्ड की जाली व शीशे टुटे हुये हैं।<br>• चिकित्सालय के मुख्य द्वार से प्रसव कक्ष हेतु साइनेज समुचित रूप से नहीं लगाये गये थे।<br>• भ्रमण के समय चिकित्सालय के गेट पर एन.ए.एस. 102 एम्बुलेन्स सेवा के वाहन संख्या– UP 41 G 3484 का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि वाहन द्वारा भ्रमण के समय तक कुल 214448 कि.मी. की दूरी तय की जा चुकी है। इमरजेन्सी किट उपलब्ध नहीं थी। वाहन की स्टेपनी फटी हुयी थी। ऑक्सीजन सिलेण्डर क्रियाशील नहीं था।<br>• मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के लम्बित भुगतान किये जाने हेतु चिकित्सालय के कार्मिकों द्वारा प्रतिदिन फोन किया जा रहा है। आवश्यक औपचारिकता के उपरान्त भुगतान किया जा रहा है। शत् प्रतिशत भुगतान कर लिया जायेगा। | • सी सेक्शन वार्ड में आई.ई.सी. किये जाने का सुझाव दिया गया।<br>• के.एम.सी. वार्ड की जाली व शीशे टुटे हुये थे जिन्हें सही कराये जाने का सुझाव दिया गया।<br>• चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर प्रसव कक्ष हेतु साइनेज समुचित रूप से लगाये जाने का सुझाव दिया गया।<br>• चिकित्सालय में सेवा प्रदान करने वाली एम्बुलेन्स का समय–समय पर निरीक्षण करने का सुझाव दिया गया।<br>• जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के लम्बित भुगतान को निस्तारित करने के लिये अवशेष लाभार्थियों की सूची को मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को प्रेषित करने का सुझाव दिया गया। | |
| 8 | जिला पुरूष चिकित्सालय एटा | • भ्रमण दिवस में एन.आर.सी. में 10 बेड के सापेक्ष मात्र 04 बच्चे भर्ती किये गये थे।<br>• एन.आर.सी. में एक चिकित्सा अधिकारी व चार उपचारिकायें कार्यरत हैं जबकि डायटीशियन का पद रिक्त है।<br>• भर्ती लाभार्थियों से वार्ता करने से ज्ञात हुआ कि अधिकांशतः उन्हें संदर्भन आंगनबाड़ी कार्य कत्रियों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। | • एन.आर.सी. में बच्चों को भर्ती कराये जाने हेतु जनपद स्तरीय बैठकों में प्रतिभाग किये जाने का सुझाव दिया गया।<br>• जनपद स्तरीय बैठकों में एन.आर.सी. के सम्बन्ध में अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार किया जाये।<br>• भर्ती के उपरान्त लाभार्थियों से फालो अप के स्तर में वृद्धि करने का सुझाव दिया गया। | मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / जनपद स्तर / राज्य स्तर |
| 9 | ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अयागढ़ | • प्रसव कक्ष का शौचालय अक्रियाशील है।<br>• प्रसव कक्ष की फर्श को सही कराये जाने की आवश्यकता है।<br>• चिकित्सालय में शिकायत पेटिका नहीं लगायी गयी थी।<br>• बिजली की वायरिंग खराब अवस्था में थी। | • प्रसव कक्ष को सुसज्जित कराये जाने का सुझाव दिया गया।<br>• चिकित्सालय में शिकायत पेटिका लगाये जाने का सुझाव दिया गया।<br>• सुरक्षा की दृष्टि से बिजली की वायरिंग को सही कराये जाने | |
| 10 | नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य | • प्रसव कक्ष समुचित रूप से तैयार नहीं किया गया था। | • प्रसव कक्ष समुचित रूप से तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया। | प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | केन्द्र नगला पोटा | • वित्तीय वर्ष 2018–19 में रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित नहीं हुयी है।<br>• वित्तीय वर्ष 2018–19 में भ्रमण के दिवस तक कुल 38 प्रसव हुये हैं जिसमें से मात्र 04 लाभार्थियों का भुगतान किया गया है।<br>• प्रसव पंजिका सही प्रकार से नही तैयार किया गया था।<br>• चिकित्सा इकाई की पेन्टिंग को दिशा–निर्देशों के अनुरूप कराये जाने की आवश्यकता है। | • रोगी कल्याण समिति की बैठक किये जाने का सुझाव दिया गया।<br>• वित्तीय वर्ष 2018–19 में कराये गये कुल प्रसवों का भुगतान किये जाने का सुझाव दिया गया।<br>• प्रसव पंजिका को मानकानुसार तैयार किये जाने का एवं मासिक सारांश बनाये जाने का सुझाव दिया गया।<br>• चिकित्सा इकाई की पेन्टिंग को दिशा–निर्देशों के अनुरूप कराये जाने का सुझाव दिया गया। | जनपद स्तर |

**आशा मॉड्यूल 6–7 चतुर्थ चरण प्रशिक्षण का अनुश्रवण :–**

- विकास खण्ड शीतलपुर के अन्तर्गत सामु0स्वा0केन्द्र, बाघवाला में आशा मॉड्यूल 6–7 चतुर्थ चरण का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा था।
- प्रशिक्षण में तीन प्रशिक्षकों (श्रीमती नीलम–एन.जी.ओ., श्री गोपाल–एन.जी.ओ. एवं डा0 नकुल–चिकित्सा अधिकारी) द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था।
- भ्रमण के दिवस में 28 आशा कार्यकत्रियाँ उपस्थित थी।
- प्रतिभागियों के बैठने हेतु समुचित व्यवस्था की गयी थी।
- प्रतिभागियों को आवश्यक लॉजिस्टिक इत्यादि उपलब्ध कराया गया था।

**दिनांक 16.01.2019 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक के मुख्य बिन्दु–**

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का लम्बित भुगतान तत्काल प्रभाव से योजना बनाकर किया जाये।
- समस्त प्रतिभागियों को अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि आशाओं द्वारा किये जा रहे कार्यों के सापेक्ष प्रतिपूर्ति राशि का नियमित भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही निर्देशित किया गया कि आशाओं की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान बी.सी.पी.एम.–एम.आई.एस. के माध्यम से प्रत्येक माह निर्धारित तिथि में किया जाए।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि चिकित्सा इकाई के मुख्य द्वार पर व्हील चेयर व स्ट्रेचर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- भ्रमण की गयी चिकित्सा इकाईयों के लेबर रूम की स्थिति संतोषजनक नहीं है इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया कि नर्स मेण्टर का रोस्टर बना कर समस्त चिकित्सा इकाईयों के लेबर रूम को मानकानुसार तैयार कराया जाये।
- राज्य स्तरीय दल द्वारा सुझाव दिया गया कि आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उल्लेख सुसंगत एफ.एम.आर. कोड में प्रतिमाह किया जाये।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि ब्लाक स्तर से कमिटेड की गयी धनराशि का व्यय नियत समय सीमा में कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि एच0एम0आई0एस0 रिपोर्टिंग व भौतिक स्थिति में भिन्नता को तत्काल प्रभाव से दूर किया जाये।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों की बिन्दुवार समीक्षा की गयी व लक्ष्य प्राप्ति हेतु रणनीति तैयार की गयी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाई में सेवा प्रदान करने वाली 102 व 108 एम्बुलेन्स का समय–समय पर परीक्षण किया जाये। तथा उसकी विस्तृत रिपोर्ट जनपद स्तर पर प्रेषित की जाये।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि नवीन शासनादेश के अनुसार ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति का गठन किया जाये तथा उनके खाते खोले जाये।

Ankit Agarwal

(अंकित अग्रवाल)
एकाउन्ट ऑफिसर
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ

Raj Kishor Tripathi

(डा0 राज किशोर त्रिपाठी)
प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ